

कार्यालय कलेक्टर जिला कोण्डागांव एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग

—: अधिसूचना :-

क्रमांक/5454/202206200900049/अ-82/भू-अर्जन/2021-22 कोण्डागांव, दिनांक 05/09/2024

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि ग्राम-तोतर, तहसील मर्दापाल व्यपवर्तन अन्तर्गत आदनार-तोतर मार्ग के कि.मी. 1/6 भवरडींग नदी पर उच्चस्तरीय सेतुमय पंधुच मार्ग निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

—: अनुसूची :-

- भूमि का वर्णन—
 - जिला — कोण्डागांव
 - तहसील — मर्दापाल
 - ग्राम — तोतर
 - भूमि का क्षेत्रफल— 0.050 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
2/9	0.405	0.025
89/6	0.182	0.025
योग :- 02	0.587	0.050

- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है।
- उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कुणाल दुदावत)
कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0क्र0 / 5154-A / 202206200900049 / अ-82 / भू-अर्जन / 2021-22 कोण्डागांव, दिनांक 05 / 09 / 2024
प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, कांकेर को उपरोक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो समाचार पत्रों, छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में कराने एवं प्रकाशन उपरान्त इसकी प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव को उपलब्ध कराने बाबत।
2. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. जिला कार्यालय कोण्डागांव को, अधिसूचना को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भू-अर्जन से संबंधित वेबसाईट एवं जिला के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु एवं अपलोड किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव को उपलब्ध कराने बाबत।
3. तहसीलदार कोण्डागांव/मर्दापाल को अधिसूचना की प्रति कार्यालय तहसीलदार कोण्डागांव, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, कार्यालय ग्राम पंचायत तोतर, कार्यालय जनपद पंचायत कोण्डागांव में प्रकाशन कर पंचनामा प्रमाण पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव को पृथक-पृथक उपलब्ध कराने बाबत।

(कृणाल दुदावत)
-कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग